भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**लिखित प्रश्न सं. 154**

जिसका उत्तर 02.02.2023 को दिया जाना है

**उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण**

154. श्री घनश्याम सिंह लोधी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य है;

(ख) क्या सरकार को उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की धीमी प्रगति की जानकारी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पास उत्तर प्रदेश राज्य के उन राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में कोई सूचना है जहां घातक हादसे होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ड.) राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) वित्त वर्ष 2022-23 में 600 किमी लंबाई का निर्माण करने का लक्ष्य है, जिसमें से जनवरी, 2023 तक 389 किमी लंबाई पूरी हो चुकी है।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य में 31 जनवरी, 2023 तक कुल 79 रारा परियोजनाएं चल रही हैं और 21 परियोजनाओं में देरी हो रही है। यह विलंब भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ काटने की अनुमति मिलने में में देरी और कुछ मामलों में ठेकेदार के नकदी प्रवाह के मुद्दों और कोविड-19 के कारण हुआ है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जिला/स्थानीय प्रशासन के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं। कोविड-19 और अन्य देरी के कारण आत्मनिर्भर भारत नीति के दिशा-निर्देशों के तहत ठेकेदार/रियायतग्राहियों को भुगतान, परियोजना को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने आदि के संबंध में छूट दी गई है।

(ग) और (घ) एनएचएआई द्वारा उत्तर प्रदेश में रखरखाव और विकसित किए जा रहे रारा खंडों पर 327 सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की गई है। इनमें से 266 को स्थायी रूप से ठीक कर दिया गया है और शेष निर्माण/डीपीआर चरण में हैं।

(ङ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की निष्पादन एजेंसियां उदाहरणार्थ एनएचएआई/एनएचआईडीसीएल/राज्य लोक निर्माण विभाग, राज्य सरकारों के साथ नियमित विचार-विमर्श करती हैं और अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए उनकी कानून-व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों की सहायता को सूचीबद्ध करती हैं। राज्य सरकारें पुलिस कर्मियों को तैनात करके निष्पादन एजेंसियों की सहायता करती हैं, जिसके आधार पर अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाए जाते हैं।

मंत्रालय ने अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 और राजमार्ग प्रशासन नियम, 2004 को अधिसूचित किया। मंत्रालय ने अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों को अतिक्रमण रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के मार्गाधिकार के साथ-साथ टो वॉल/चारदीवारी का निर्माण करने के लिए भी अधिकृत किया है। एनएचएआई के सभी प्रमुख अनुबंधों में, नियमित अंतराल पर रारा के संबंधित खंड में गश्त करने के लिए गश्त वाहनों का प्रावधान किया गया है, जो प्रारंभिक चरणों में अतिक्रमणों की पहचान करने में मदद करता है और तत्काल सुधारात्मक उपायों को सक्षम बनाता है।

*****